भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. *192

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के आवंटन में पारदर्शिता

***192. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कंपनियों के द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के आबंटन में भेदभावपूर्ण व्यवहार देखा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है;

(ड.) क्या सरकार का कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि संबंधी कार्यकलापों की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>'सीएसआर निधि के आवंटन में पारदर्शिता' के संबंध में 09 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 192 (12वां स्थान) के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।</u>

(क) और (ख): सीएसआर ढांचे के तहत निधि के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 135 में यह अधिदेश दिया गया है कि तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल मूल्य वाली या 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर करने वाली या 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का लाभ कमाने वाली प्रत्येक कंपनी को, कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर के प्रति पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर पर व्यय करना अनिवार्य है।

अधिनियम के तहत, प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन करना होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 135 (9) में प्रावधान है कि 50 लाख रुपये से कम सीएसआर दायित्व वाली कंपनियों को सीएसआर समिति गठित करने से छूट दी गई है। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी और कंपनी का बोर्ड इसकी सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, उन पर निर्णय लेता है, उन्हे निष्पादित करता है और उनकी निगरानी करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3) और (4), सीएसआर समिति और कंपनी के बोर्ड को अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध मदों के लिए अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के वितरण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देती है।

इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइटें हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना अपेक्षित है। इस प्रकार, सीएसआर ढांचा कंपनियों द्वारा सीएसआर खर्च करने में पर्याप्त पारदर्शिता प्रदान करता है।

कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना अपेक्षित है और कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग इसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के लिए और तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा। इसके अतिरिक्त, चालू परियोजना के मामले में, कंपनी का बोर्ड अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आबंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा

और समग्र अनुमेय समयावधि के भीतर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, करने के लिए सक्षम होगा। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण कंपनियों द्वारा सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना शामिल है जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसमें लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। सरकार ऐसा कोई निदेश जारी नहीं करती है कि कंपनी किस कार्यकलाप या क्षेत्र पर खर्च करेगी।

इस प्रकार, अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि जैसे मौजूदा कानूनी प्रावधान के साथ-साथ, कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा, कंपनियों द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यकलापों की पारदर्शिता और परिशुद्धता के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।

(ग) और (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3) और (4), सीएसआर समिति और कंपनी के बोर्ड को अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध मदों के लिए अपने करपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के वितरण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देती है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4 में निर्धारित किया गया है कि कंपनी के बोर्ड को उक्त नियम में अपनी सीएसआर कार्यकलापों को स्वयं द्वारा या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निर्धारित करने का अधिकार है। चूंकि कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप का प्रारंभ, प्रबंधन और निगरानी किसी कारपोरेट द्वारा की जाती है, इसलिए सरकार किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र अथवा कार्यकलाप में व्यय करने के संबंध में कंपनियों को विशिष्ट निदेश जारी नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, जब कभी सीएसआर प्रावधानों के किसी उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, तो रिकार्डों की विधिवत जांच कर और कानून की सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अनुपालन न करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ङ) और (च): सीएसआर कानूनी ढांचे के तहत, धारा 135 (1) के तहत उल्लिखित प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी सीएसआर के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है। फिलहाल, किसी नए तंत्र के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

****